न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––30/2019

प्रविष्टि दिनांक ––25.2.2019

उनवान

मीठालाल पुत्र धनालाल जाति जाट, निवासी ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान

प्रार्थी/वादी

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री कौशल किशार जाट–वकील वादी /प्रार्थी
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादी /अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थनापत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

दिनांक–30/11/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी की आराजी खाता सं0 84 खसरा नंबर 70/314 रकबा 10 बीघा, खता सं0 114 खसरा नंबर 136 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 139/309 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 139/311 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.न. 247 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा , खसरा नंबर 260 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा भूमि वाके ग्राम गिरधारीपुरा तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। अपने हिस्से अनुसार प्रार्थी काबिज हैं। उक्त आराजी मे राजस्व कर्मचारियो ने लिपिकीय त्रुटि करते हुए प्रार्थी का नाम मीठालाल के स्थान पर रामफूल उर्फ मोडू अंकित कर दिया। जबकि नामान्तरकरण सं. 126 मे ग्राम पंचायत रजवास द्वारा रामफूल उर्फ मोडू के नाम तस्दीक किया गया था । प्रार्थी को गांव मे उक्त दोनो ही नामा से जाना जाता है। लेकिन प्राथी के समस्त दस्तावेज मे पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम मीठालाल अंकित है। लेकिन संवत 2035–2038 की जमाबंदी मे रामफूल उर्फ मीठू को हटाकर रामफूल कर दिया। संवत 2039–2042 की जमाबंदी मे खाता सं0 56/64 मे रामफूल उर्फ मीठू दर्ज लेकिन शेष खसरा नंबर मे उक्त त्रुटि दुरूस्त नही हुई हैं तथा संवत 2044 से 2047 तक की जमाबंदी मे खाता सं0 63 मे रामफूल उर्फ मीठू के स्थान पर रामफूल उर्फ मोडू लिपिकीय त्रुटि के कारण सहवन से अंकित हो गया जिसे दुरूस्मत किया जावे। अतः प्रार्थनापत्र मे अंकित खसरा नंबरो मे प्रार्थी का नाम रामफूल व रामफूल उर्फ मोडू के स्थान पर मीठालाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे मीठालाल के नाम का अंकन किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2072–75, 2035–2038, 2039–2042 ,, राशनकार्ड, आधार कार्ड, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

पैरोकार सरकार की ओर से स्वीकारोक्ति जवाब प्रस्तुत किया, जिसमे अंकितानुसार ग्राम गिरधारीपुरा की जमाबंदी संवत 2039–42 के खाता सं0 56 मे खातेदार का नाम रामफूल उर्फ मीटू पुत्र धन्ना कोम जाट दर्ज आ रहा है। परन्तु रोटेशन जमाबंदी बनाते समय ग्राम गिरधारीपुरा की जमाबंदी संवत 2044–47 के खाता सं0 63 मे सहवन से रामफूल उर्फ मीटू पुत्र धन्ना के स्थान पर रामफूल उर्फ मोडू पुत्र धन्ना कोम जाट दर्ज हो गया जो कि आदिनांक दर्ज है। मजमेआम मे जांच करने पर बताया कि रामफूल पुत्र धन्ना व मीटू पुत्र धन्ना कोम जाट दोनो ही एक ही व्यक्ति है। वर्तमान मे मीठालाल पुत्र धन्ना के नाम से जाना जाता है।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि मे भू–प्रबन्ध , संवत 2028–2031, 2027–2030, 2035–38, 2039–42, 2044–2047, 2048–2051, 2045–51, 2042–45 प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

किये जो शामिल पत्रावली है। जमाबंदी संवत 2028–2031 मे खसरा नंबर 247, 260, 139/309, 139/311 मे प्रार्थी के पिता सहखातेदार के रूप मे दर्ज है तथा 2027–30 मे खसरा नंबर 70/314 मे प्रार्थी के पिता खातेदार के रूप मे अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि है। संवत 2027–30 की जमावंदी के बाद 2035–38 की जमाबंदी मे धन्ना की विरासत मे प्रार्थी का नाम रामफूल अंकित किया गया जो संवत 2042 तक अंकित था लेकिन संवत 2044–47 की जमावंदी म रामफूल उर्फ मोडू अंकित हो गया जो त्रुटिपूर्ण है। इस तथ्य की पुष्टि पैरोकार सरकार द्वार अपने जवाव मे भी की गई है जिसके अनुसार ग्राम गिरधारीपुरा की जमाबंदी संवत 2039–42 के खाता सं0 56 मे खातेदार का नाम रामफूल उर्फ मीटू पुत्र धन्ना कोम जाट दर्ज आ रहा है। परन्तु रोटेशन जमाबंदी बनाते समय ग्राम गिरधारीपुरा की जमाबंदी संवत 2044–47 के खाता सं0 63 मे सहवन से रामफूल उर्फ मीटू पुत्र धन्ना के स्थान पर रामफूल उर्फ मोडू प्रत्र धन्ना कोम जाट दर्ज हो गया । मजमेआम मे जांच करने पर बताया कि रामफूल पुत्र धन्ना व मीटू पुत्र धन्ना कोम जाट दोनो एक ही व्यक्ति है तथा वर्तमान मे मीठालाल पुत्र धन्ना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उक्त त्रुटि होना साबित होकर लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। अपितु त्रुटि काफी पुरानी है, लेकिन न्याय हित मे देरी को नजरअन्दाज करते हुए प्रकरण पर विचार किया गया है। संभवतः रोटेशन के दौरान अनभिज्ञता कारण बोलते नामो से इन्द्राज कर दिया गया हो जो लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सही किये जाने योग्य है तथा जिसके अनुसार उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन को दुरूस्त कराने के प्रार्थी अधिकारी है। पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार की रिर्पोट उक्त त्रुटि को साबित करते है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थी वादी का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार **निवाई** को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 70/314 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नंबर 136 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 139/309 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 139/311 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.न. 247 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा , खसरा नंबर 260 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा भूमि वाके ग्राम गिरधारीपुरा , पटवार मण्डल रूपवास, तहसील निवाई जिल टोंक मे अंकित नाम "**रामफूल उर्फ मोडू" एवं रामफूल** के स्थान पर "**मीठालाल**" दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे मीठालाल के नाम का अंकन किया जावे। शेष अंकन एवं रहन के नोट को यथावत रखते हुए, उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक** 30/1/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी निवाई

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी निवाई